

Form No. III
फर्द अहकाम

(नियम 26)

1/1

आज दिनांक तहसीलदार/नायब तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर मुकाम श्री विजयनगर
सरकार बनाम मनीराम s/o इजारी राम जाट सा विजोचिया
किस्त मुकदमा राज.उप.अधि. 1954 की धारा के अन्तर्गत सं. 72 सन 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही का इतिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम व हुकम की तामिल में जारी हुए।
5/01/2018	<p>पटवारी हल्का <u>12 BLM A</u> ने रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया है कि चक नं. <u>12 BLM B</u> के मुरब्बा नं. <u>211</u> के <u>0.759</u> बीघा, भूमिरकबा राज है जिस पर श्री <u>मनीराम</u> पुत्र श्री <u>इजारी राम</u> जाति <u>जाट</u> सा <u>विजोचिया</u> ने अतिक्रमण कर सम्वत् <u>2074</u> फसल <u>रबी</u> नाजायज काश्त कर रखी है, जिसके विरुद्ध राजस्थान उप निवेशन अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। मौके पर खड़ी फसल को कुर्क करने हेतु गिरदावर हल्का को कुर्की के आदेश दिये जावे।</p> <p>पत्रावली दिनांक <u>20/02/2018</u> को पेश है।</p>	<p>नोटिक्रमण <u>103</u> <u>25/1/18</u> <u>104</u> <u>25/1/18</u></p>
20-2-18	<p>पत्रावली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर शास्ति अधिरोपित की गई निर्णय पृथक से लिखवाया गया।</p>	

315718 पञ्जावली प्रहलद डई १८८ 12182 पञ्जा
 द्वारा विज्यामी प्रहलद की गई सवीचक
 बोलीपता चर्म पाखा डा. गीगाथा कुश्वा
 की 300/- रु की रशि उरह बोली
 स्वीकार की गई १८८ द्वारा विज्यामी शशि परिपे
 चाकन रु 56 दिठ 315718 द्वारा शककोष मे
 पमा कखा ही गई है जे शामिरा मिजल जे
 एके माग लेखा दर्ज की जावे पटवारी शक
 द्वारा अतिकमी को वेदावर कल कबला वरु
 सपका प्रहल कल लिखा गया है पञ्जावली मे शक
 कार्यवडी अपेक्षित रशि है पञ्जावली के सवा जुमा
 दोकर दारिब्य दफतर है।

च रजिस्टर की पृष्ठ सं. 44 क्र. सं. 03
 दिनांक 16-5-18 राशि 300/- बर्ज विर्या।



(1/2)

आयालय तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर, जिला श्री गंगानगर



करण सं० 72118

वर्ष

जस्थान सरकार बनाम मनीशम डा० हजारीशम जाट सा बिकोचिया

स्तुतिकरण दिनांक 25-1-18 निर्णय दिनांक 20-2-18

जस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत

तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही का इतिशयंल्स जज	पत्र क्रमांक दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया
0-2-18	<p>पत्रावाली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित ऑफिस कानूनगो उपस्थित, जमादार उपस्थित, जमादार ने बताया कि अप्रार्थी को तामिल हो चुकी है। ऑफिस कानूनगो ने बताया जमाबन्दी सम्बत् 2074 खी में भूमि रकबा राज दर्ज है।</p> <p>अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अतः पटवारी हल्का 12B.M.A. का प्रतिवेदन दिनांक 25-1-18 को स्वीकार करते हुए अप्रार्थी <u>मनीशम</u> पुत्र <u>हजारीशम</u> जाति <u>जाट</u> निवासी <u>बिकोचिया</u> को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत चक 12B.M.A. मु.नं. 211/426 कुल 0.759 है 0 सरकारी भूमि पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के काश्त करने पर अतिकर्मी घोषित करते हुए काश्तशुदा फसल को सरकारी सम्पत्ति घोषित किया जाता है। भू 0 राजस्व की दर का 10 गुणा राशि 61 शास्ति अधिरोपित की जाती है। निरीक्षक भू 0 अधि 0 12B.M.A. को नियुक्त किया जाता है कि अतिकर्मी को बेदखल कर फसल निलाम करे तदनुसार मांग लेखे दर्ज किया जावे।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 20-2-18 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर</p> <p>'घ' रजिस्टर के पृष्ठ सं. 45 की क्रम सं. 10 दिनांक 12-3-18 को 61 दर्ज किया गया।</p> <p style="text-align: right;"> ता 0 रा 0 ले 0</p>	